

कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) की वेबसाइट पर दिनांक 03/09/2016 को अपलोड किया जाए।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग

(मध्य क्षेत्र)

21-23 लाउदर रोड, जार्ज टाउन
इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष-(0532)-2460511/9452424060
(वेबसाइट :www.ssc-cr.org)

भर्ती विज्ञापित

विज्ञापन संख्या:सी-आर-01/2016

फाइल सं. 232/SSC-CR/1-2016-Rectt.(S.P.)

अंतिम तिथि : 02.10.2016

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

इस विज्ञापित के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञापित के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में है-(i) पंजीकरण भाग और (ii) आवेदन भाग।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञापित को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञापित में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/जाति/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं। वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रू-किया जा सकता है। आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपरोक्त विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल है, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग, मध्य क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् <http://www.ssc-cr.org> पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें।
टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा।

4. पदों के ब्यौरे/विवरण	
पदों की श्रेणी संख्या—सीआर10116	
पद का नाम	: नलकूप परिचर (टियूबेल अटेंडेंट)
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर तकनीकी
रिक्तियाँ	: 01—अनारक्षित
विभाग	: केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म कार्यालय, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, अन्देशनगर, लखीमपुर खेरी ।
आयु	: 18 से 25 वर्ष के बीच हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.—1 रूपया 5200—20,200 /— ग्रेड पे—रु. 2400 /— (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इलेक्ट्रीकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में आई.टी.आई का प्रमाण पत्र। 2. किसी फार्म में नलकूप चलाने का तीन वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण।
प्रारंभिक तैनाती	: सी.सी.बी.एफ, अन्देशनगर, लखीमपुर खेरी, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: नलकूप, बोरवेल, बिजली मोटर, चारा काटने की मशीन, पंप हाउस तथा नाली आदि का अनुरक्षण एवं नलकूप सिंचाई कार्य आदि का पर्यवेक्षण।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10216		
पद का नाम	:	कृषि सहायक
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
रिक्तियों	:	02 (अना0-01, अ.पि.व.-01)
विभाग	:	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म कार्यालय, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, अन्देशनगर, लखीमपुर खेरी ।
आयु	:	18 से 25 वर्ष के बीच हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्षों की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग तथा अ.पि.व. के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 तथा 43 वर्ष तक होगी।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 2800/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि फार्म में स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा।
वांछनीय योग्यता	:	कृषि उत्पादन में नियुक्त कृषि पशुधन फार्म में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव
प्रारंभिक तैनाती	:	सी.सी.बी.एफ, अन्देशनगर, लखीमपुर खेरी(यू.पी.) अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	चारा फसल बोना और काटना/फसल कार्यक्रम तैयार करना, खेत तथा संबंधित कार्य/फार्म में कृषि अधिकारियों और निदेशक की सहायता करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10316		
पद का नाम	:	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अनारक्षित
विभाग	:	वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4600/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और 2. दसवीं स्तर पर हिंदी या किसी आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। 3. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग में या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम से संबंधित विषय में तीन वर्ष का फील्ड या अनुसंधान या शिक्षण का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में पी.एच.डी.।
प्रारंभिक तैनाती	:	नई दिल्ली, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी विषयों की शब्दावली के विकास से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की योजनाओं को लागू करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10416		
पद का नाम	:	पाण्डुलिपि धारक (कॉपी होल्डर)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अ.जा.
विभाग	:	राजभाषा स्कध, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि विभाग, नई दिल्ली।
आयु	:	18 से 25 वर्ष के बीच हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनुसूचित जाति के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 1900/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष। 2. किसी प्रिंटिंग प्रेस अथवा किसी समाचार पत्र में हिन्दी और अंग्रेजी पाण्डुलिपि रखने/प्रूफ शोधन का अनुभव और 3. हिन्दी का चलाऊ ज्ञान।
वांछनीय योग्यता	:	25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइप करने की योग्यता होनी चाहिए।
प्रारंभिक तैनाती	:	नई दिल्ली।
कार्य अपेक्षाएं	:	पाण्डुलिपि धारक (कॉपी होल्डर) ऐसे सभी सम्बैधानिक दस्तावेजों की प्रूफ रीडिंग में सहयोग करेगा जिन्हें प्रिंटिंग के लिए प्रूफ से पहले अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अलावा कॉपी होल्डर की सेवाएं निरंतर प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्त विधेयक से संबंधी कार्यों के लिए अपेक्षित होती हैं पाण्डुलिपि धारक (कॉपी होल्डर) का पद प्रारंभिक पद है और इसके आगे के दूसरे पद है जैसे:- प्रूफ शोधक, सहायक (प्रिंटिंग) और अधीक्षक(प्रिंटिंग)।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या- सीआर10516		
पद का नाम	:	फेरो प्रिंटर
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियों	:	02-अनारक्षित
विभाग	:	केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो(सी.डी.बी.) कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	:	18 से 25 वर्ष के बीच हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 2000/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1.(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष एवं (ख) फेरो तथा एजो प्रिंटिंग में अनुभव 2. ड्राईंग ब्यौरे पढ़ने और समझने का दो वर्षों का अनुभव। 3. ड्राईंग रिकार्ड अनुरक्षण का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	नई दिल्ली।
कार्य अपेक्षाएं	:	फेरो प्रिंटर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो के वास्तुकला स्कंध संबंधी फेरो एवं एजो प्रिंटिंग पढ़ने तथा ड्राइंग के ब्यूरो को समझने तथा रिकार्ड अनुरक्षण के कार्यों की देख भाल करता है।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.पै.-एक पैर, दो.पै.-दो पैर, मू-मूक, आ.मू- आंशिक मूक) के शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है तथा श्रवण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10616	
पद का नाम	: कनिष्ठ रसायनज्ञ
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	: 06 (अ.पि.व.-03, अ.पि.व.-02 अ.ज.जा.-01)
विभाग	: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित, अ.पि.व. तथा अ.ज.जा. सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 वर्ष, 43 वर्ष व 45 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रु. 2800/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या दुग्ध रसायन या तेल तकनीकी या खाद्य तकनीकी में स्नातकोत्तर । <i>अथवा</i> 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान से स्नातक या रसायन विज्ञान में स्नातक प्रतिष्ठा एवं विश्लेषण कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: शून्य
प्रारंभिक तैनाती	: आर.ए.एल. कानपुर, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: सभी एग्मार्क वस्तुओं के नमूनों का रसायनिक परीक्षण करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या— सीआर10716		
पद का नाम	:	अनुशोधक चित्रकार (आर्टिस्ट रीटचर)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01—अनारक्षित
विभाग	:	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300—34,800 /— ग्रेड पे—रु. 4200 /—(पूर्व संशोधित)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से उच्चतर माध्यमिक पास योग्यता। 2. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अथवा फोटो लिथो ग्राफी अथवा लिथोग्राफी में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा साथ ही मान्यता प्राप्त फोटो लिथो स्थापना में अनुशोधक के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त फोटोशिला मुद्रण संस्थान में अनुशोधक के रूप में कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव के साथ अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 (1961 का 52) समय—समय पर यथा संशोधित के तहत उक्त ट्रेड में अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण—पत्र।</p>
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	नई दिल्ली, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी गैर रंगीन एवं रंगीन छपाई कार्य के रेखा और बिंदु चित्र(लाइन एवं हाफटोन) निगेटिव और पाजिटिव का अनुशोधन कार्य करना तथा बहुरंगीन छपाई के लिए निगेटिव और पाजिटिव के जटिल किस्म के रंगों को अलग—अलग करना। 2. रंगीन छपाई कार्य प्रस्तुत करना। 3. उच्च ग्रेड कार्य के निष्पादन हेतु जटिल किस्म के कार्य करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.ह.—एक हाथ, ए.पै.—एक पैर, दो.पै.—दोनों पैर) के शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है तथा श्रवण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10816		
पद का नाम	:	कनिष्ठ अभियन्ता (जूनियर इंजीनियर)(क्यू.ए.)-जेनटेक्स
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	22 (अ.ना.-11,अ.पि.व.-06,अजा.-04,अ.ज.जा.-01) (1 पद श्रवण विकलांग के लिए आरक्षित)
विभाग	:	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.जा. तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.जा./अ.ज.जा. सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 35 वर्ष, 38 वर्ष व 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैवतकनीकी में स्नातक डिग्री अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी के किसी एक क्षेत्र में अर्थात् यांत्रिक,बिजली,धातु विज्ञान वस्त्र एवं कपड़ा, वस्त्र तकनीकी, प्लास्टिक तकनीक, कार्य (प्लायमर) तकनीक, चीनी मिट्टी तकनीक में डिप्लोमा। 2. मान्यता प्राप्त संगठन/उपक्रम से वस्त्र एवं कपड़ा के क्षेत्र में परिधान तकनीकी/प्लायमर तकनीकी/चीनीमिट्टी तकनीकी चमड़ा के उत्पादन अथवा विकास अथवा गुणवत्ता आश्वासन में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	कानपुर(यू.पी.)-12, मुम्बई (एम.एस)-02 और नई दिल्ली (दिल्ली)-08, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. उनके द्वारा निरीक्षित एवं स्वीकृत सामग्री की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होंगे। 2. संविदा शर्तों के अनुरूप बुद्धिमता पूर्वक महत्वपूर्ण दायित्व विशेष रूप से संधि के तौर पर हुई आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। 3. विनिर्देशक मानक से भिन्न होने के लिए किसी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। 4. संविदा की शर्तों से अपने को अवगत कराएंगे। 5. विनिर्देशन/ड्राइंग तथा समय-समय पर जारी विभिन्न तकनीकी निर्देशों के अनुपालन हेतु कड़ाई से निरीक्षण करेंगे।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.ह.-एक हाथ, ए.पै.-एक पैर) के शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है तथा एक पद श्रवण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर10916		
पद का नाम	:	वैज्ञानिक सहायक (रसायन)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय गैर मंत्रालयीय
रिक्तियाँ	:	28 (अ.ना.-14,अ.पि.व.-09,अजा.-01,अ.ज.जा.-04)
विभाग	:	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.जा. तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.जा./अ.ज.जा. सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष, 38 वर्ष व 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में अर्थात् रसायन विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी रसायन औषधि निर्माण, पेंट प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। 2. मान्यता प्राप्त संगठन/उपक्रम से गुणवत्ता आश्वासन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	कानपुर(यू.पी.)-12, मुम्बई (एम.एस)-08, कोलकता(प.बं.)-01 अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रयोगशाला की स्थापना,जॉच सुविधाएं, प्रयोगशाला के अनुरक्षण में सहयोग प्रदान करना। 2. सामान्य रसायनिक विधि/यांत्रिक विधि तथा विभिन्न भौतिक विधि से विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना होगा। 3. विभिन्न जॉच विधि को प्रमाणिक बनाना होगा। 4. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा। 5. तकनीकी विषयों पर व्याख्यान देना होगा। 6. कार्यालय प्रबंध में सहयोग करना। 7. उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासनिक/तकनीकी कार्य करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.पै.-एक पैर) तथा श्र.वि.-श्रवण विकलांग) के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11016	
पद का नाम	: वैज्ञानिक सहायक (जेनटेक्स)
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय गैर मंत्रालयीय
रिक्तियाँ	: 61 (अ.ना.-34,अ.पि.व.-15,अजा.-08,अ.ज.जा.-04)
विभाग	: गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.जा. तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.जा./अ.ज.जा. सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष, 38 वर्ष व 40 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200 /-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैवतकनीकी में स्नातक डिग्री अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी के किसी एक क्षेत्र में अर्थात् यांत्रिक,बिजली,धातु विज्ञान वस्त्र एवं कपड़ा, वस्त्र तकनीकी, प्लास्टिक तकनीक, कार्य (पॉलिमर) तकनीक, चीनी मिट्टी तकनीक में डिप्लोमा। 2. मान्यता प्राप्त संगठन/उपक्रम से सामान्य भंडार तथा वस्त्र एवं कपड़ा के क्षेत्र में उत्पादन अथवा विकास अथवा गुणवत्ता आश्वासन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: शून्य
प्रारंभिक तैनाती	: नई दिल्ली(दिल्ली)-12,मुम्बई (एम.एस)-06,कानपुर(यू.पी.)-36, और कोलकता (प.बं.)-07 अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रयोगशाला में पदार्थ रसायन, धुलाई तथा वस्त्र स्टोर की लाइट टेस्टिंग तैयार कपड़े तथा चमड़े और रबड़ स्टोर का पूर्ण ज्ञान होना। 2. यह सुनिश्चित करना की सभी जाँच उपकरण जो उनके द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे, उपयोग योग्य और सही हैं। 3. उत्पादन जाँच के लिए उपयोग किए गए जाँच उपकरणों का अनुसंधान चार्ट तथा सक्षम प्रयोगशाला द्वारा अथवा स्थापना द्वारा जारी बल्क निरीक्षण जिसकी आवश्यकता अनुसार सत्यापन किया जा सके।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.पै.-एक पैर) तथा श्र.वि.-श्रवण विकलांग) के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11116		
पद का नाम	:	सहायक मानचित्र संग्रहालयाध्यक्ष (असीसटेंट मैप क्यूरेटर)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	05 (अना0-03,अ.पि.व.-01, अ.ज.जा.-01)(01 पद अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है)
विभाग	:	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती-III, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	:	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.ज.जा. वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 वर्ष, 43 वर्ष तथा 45 वर्ष तक होगी।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 1900/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से कक्षा 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष योग्यता। 2. किसी मान्यता प्राप्त मानचित्र पुस्तकालय में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता जिसमें पुस्तकालय विज्ञान या भूगोल या पृथ्वी विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ योग्यता। 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 दबाव, 10500 कुंजी दबाव (की डिप्रेशन)/प्रतिघंटा के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 9000 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समरूप 30 शब्द प्रति मिनट)
प्रारंभिक तैनाती	:	नई दिल्ली, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	नक्शों का प्रबंधन,व्यवस्था, अनुरक्षण तथा प्राप्त करना और जारी करना, इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट) सामग्री को पुनः प्रस्तुत करना, पुस्तकों, प्रकाशन इत्यादि तथा मुख्य नक्शा संग्रहालयध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य सभी संबंधित कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों में अस्थि विकलांग यथा ए.बा.-एक बाँह, ए.पै-एक पैर, और ए.बा.पै.-एक बाँह और एक पैर वाले व श्र.वि.-श्रवण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11216		
पद का नाम	:	प्रयोगशाला सहायक
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय गैर मंत्रालयीय
रिक्तियाँ	:	02-अनुसूचित जाति
विभाग	:	राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि केन्द्र, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
आयु	:	25 वर्ष से अधिक न हो। अ.जा. के अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अ.जा. वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 1900/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा कृषि विषय के साथ इण्टरमीडियट अथवा सीनियर सेकेंड्री अथवा 12वीं कक्षा पास। 2. किसी प्रख्यात प्रयोगशाला में कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान अथवा जीवविज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा कृषि विज्ञान में डिप्लोमा।
प्रारंभिक तैनाती	:	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	प्रयोगशाला में जैव खाद्य, कार्बनिक खाद्य, कृषि संवर्धन तथा विभिन्न कार्बनिक उत्पाद की गुणवत्ता जाँच में सहयोग करना, प्राथमिक नमूना निर्माण के माध्यम से कार्बनिक कृषि संबंधी प्रभावी सूक्ष्म कार्बनिक की विभिन्न विकृतियों का पथक्करण एवं प्रमाणीकरण, उपकरण अनुरक्षण एवं रख-रखाव तथा विभिन्न विलयन एवं अवमिश्रण तैयार करना। कार्बनिक कृषि आदि पर तैयार किए जाने वाले तकनीकी साहित्य की कार्यालय में प्रिंटिंग,बाइंडिंग तथा अन्य कार्यों में सहयोग करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.ह.-एक हाथ, ए.पै.-एक पैर) तथा श्रवण विकलांगता (अ.श्र.-अल्प श्रवण) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11316		
पद का नाम	:	कार्याशाला अधीक्षक
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियों	:	01-अनारक्षित
विभाग	:	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र मंत्रालय, चौकाघाट, वाराणसी,
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रु. 4600/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक इंजीनीयरिंग में स्नातक की डिग्री। 2. हथकरघा/पावरलूम उत्पादन यूनिट/वस्त्र कारखाना से दो वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	वाराणसी (उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	1. वर्कशाप तथा कारपेट्री अनुभाग का प्रभारी 2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की थियरी कक्षाओं का संचालन 3. लूम/मशीन/ईक्विपमेंट/डेस्कस/कक्षाकक्षों/डिस्प्ले बोर्ड की मरम्मत व रखरखाव तथा अन्य वर्कशाप कार्य 4. समय समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अन्य कार्य
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11416		
पद का नाम	:	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	05 (अनारक्षित-03 अ.जा.-02)
विभाग	:	मुख्य अभियन्ता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, पटना।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्षों की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग तथा अ.जा. वर्ग के सिविल कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष तथा 40 वर्ष तक होगा।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रु. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारम्भिक तैनाती	:	बिहार और पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. शारीरिक रसायन, जैव तथा सूक्ष्म जैव जल गुणवत्ता पैरा मीटर के निर्धारण के लिए जल नमूनों का विश्लेषण। 2. प्रयोगशाला में अत्यंत संवेदनशील उपकरणों जैसे- आई.सी.पी., एच.पी.एल.सी.ए.एस, टी.ओ.सी. विश्लेषक इत्यादी का उपयोग कर सूक्ष्म मात्रिक तथा विषाक्त तत्वों और कार्बन मिश्रण का विश्लेषण करने में सहायक अनुसंधान अधिकारी का सहायोग करना। 3. प्रयोगशाला के उपकरणों का संचालन तथा उनका अनुरक्षण 4. जल गुणवत्ता के स्वरूप, तलछट तथा तल सातग्री वार्षिकी के आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में सहायोग करना। 5. देशांतर डी ओ और बी.ओ.डी. सर्वेक्षण जैसे विशेष अध्ययन। 6. उपयोगकर्ताओं की मांग पर निर्दिष्ट स्थलों पर विशिष्ट स्वाद की दृष्टि से विभिन्न उपयोग हेतु जल की उपयुक्तता की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान देते हुए जल गुणवत्ता स्तर रिपोर्ट तैयार करने में सहायोग करना। 7. जल गुणवत्ता बुलेटिन तथा अन्य रिपोर्टों तैयार करने में सहायोग करना। 8. 'नदियों, झीलों/जलायशयों में जल गुणवत्ता की निगरानी' संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए एस.एफ.सी. मेमो और कार्य प्राक्कलन तैयार करने में सहयोग करना। 9. उन्नत, संवेदनशील तथा आयातित उपकरणों सहित विभिन्न उपकरणों की खरीद हेतु तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने में सहयोग करना। 10. एस डब्ल्यू डी.ई.एस. फार्म में जल गुणवत्ता तथा तलछट आंकड़ों की प्रविष्टि करना। 11. अन्तर प्रयोगशाला आश्वासन कार्यक्रम (ए.क्यू.सी.) अभ्यास में सहभागिता करना। 12. विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों में सहायक अनुसंधान अधिकारी/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की सहायता करना। 13. तल सामग्री नमूनों का विश्लेषण करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों में अस्थि विकलांग यथा ए.बा.-एक बाँह, ए.पै-एक पैर, और ए.बा.पै.-एक बाँह और एक पैर वाले व श्र.वि.-श्रवण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11516		
पद का नाम	:	टेक्सटाइल डिजाइनर
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	06 (अनारक्षित-04,अ.पि.व.-01 अ.जा.-01)
विभाग	:	बुनकर सेवा केंद्र, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.जा. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.जा.के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 35 वर्ष, 38 वर्ष व 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान टेक्सटाइल डिजायन अथवा टेक्सटाइल डिजायन के साथ ललित कला में स्नातक की डिग्री। 2. किसी हथकरघा संस्थान अथवा डाई हाउस में टेक्सटाइल डिजायन के क्षेत्र में कागज और कपड़ा पर उचित कला और रंग संयोजन के साथ-साथ डिजायन का खांका तैयार करने वाले डिजायनर के रूप में दो वर्षों का अनुभव । <p style="text-align: center;"><i>अथवा</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टेक्सटाइल डिजायन के साथ ललित कला विषय में तीन वर्षों का डिप्लोमा। 2. किसी हथकरघा संस्थान अथवा डाई हाउस में टेक्सटाइल डिजायन के क्षेत्र में कागज और कपड़े पर उचित कला और रंग संयोजन के साथ-साथ डिजायन का खाका तैयार करने वाले डिजायनर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	दिल्ली-01, वाराणसी-01, श्रीनगर-01, पानीपत-02, चमोली-01, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	डिजायन,सांचा,कला,तथा रंग संयोजन के साथ-साथ कागज और कपड़े दोनों पर खाका की डिजायन हाथ से तथा कंप्यूटर की सहायता से तैयार करना व कारखानों में तथा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उससे संबंधित कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11616		
पद का नाम	:	तकनीकी अधीक्षक (बुनाई)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	06 (अनारक्षित-05,अ.पि.व.-01)
विभाग	:	बुनकर सेवा केंद्र, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग तथा अ.पि.व. के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष तथा 38 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800 /- ग्रेड पे-रू. 4200 /-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कपड़ा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री अथवा हथकरघा प्रौद्योगिकी अथवा हथकरघा और कपड़ा प्रौद्योगिकी में तीन वर्षों का डिप्लोमा । 2. डिग्री धारकों के लिए शिफ्ट प्रभारी के रूप में दो वर्षों का व्यावहारिक अनुभव तथा कपड़ा बुनाई अथवा उत्पादन संस्थान अथवा निगम अथवा किसी संस्थान में काम करने वाले डिग्री धारकों को तीन वर्षों का अनुभव जिसमें एक वर्ष हथकरघा कपड़ा संबंधी उत्पादन के विभिन्न किस्म के हथकरघों के कार्य तथा विभिन्न हथकरघों के उपकरणों जैसे जैक्कार्ड्स, डोब्बीज,जलस को खोलना और जोड़ना शामिल है तथा नए डिजाइन तथा बनाबट के धागों के उत्पादन में बुनकरों के कार्यों को नियंत्रित करने तथा उनका मार्गदर्शन करने का अनुभव साथ ही उन्नत किस्म के उपकरणों तथा उत्पादन के उचित तकनीकी का उपयोग कर वाणिज्यक नमूनों का उत्पादन करना।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	जयपुर-01, श्रीनगर-01, पानीपत-02, चमोली-01, मेरठ-01, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	उन्नत किस्म के उपकरणों तथा उत्पादन के उचित तकनीकी का उपयोग कर वाणिज्यक नमूनों के उत्पादन में बुनकरों के कार्यों पर नियंत्रण तथा उनका पर्यवेक्षण विभिन्न प्रकार के करघों जैसे जैक्कार्ड्स, डोब्बीज, जलस के ब्लेंड्स को खोलना, जोड़ना तथा उनके कार्य संबंधी ड्यूटी। कारखाना तथा क्षेत्र में प्रशिक्षण देना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11716		
पद का नाम	:	तकनीकी अधीक्षक (प्रोसेसिंग)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	03 (अनारक्षित-02, अ.पि.व.-01)
विभाग	:	हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, तथा अ.पि.व. के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कमशः 35 वर्ष व 38 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल प्रोसेसिंग अथवा टेक्सटाइल रसायन शास्त्र में 4 वर्षों का स्नातक डिग्री अथवा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग अथवा टेक्सटाइल रसायन शास्त्र में इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक। 2. किसी कपड़ा निर्माण कारखाना/निर्माण अथवा डाई हाउस/ रंग (डाई) प्रयोगशाला फिनिसर/डाइंग मास्टर/प्रिंटिंग मास्टर/कपड़ा निर्माण सहायक/प्रयोगशाला तकनीशियन/डिमांस्टर (प्रोसेसिंग), पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव <p style="text-align: center;">अथवा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा हथकरघा और कपड़ा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टेक्सटाइल रसायन शास्त्र अथवा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में पोस्ट डिप्लोमा। 3. किसी कपड़ा कारखाना/निर्माण अथवा डाई हाउस/रंग(डाई) प्रयोगशाला/हथकरघा कारखाना में शिफ्ट मास्टर/कपड़ा निर्माण सहायक/प्रयोगशाला तकनीशियन/डिमांस्ट्रेटर (प्रोसेसिंग)/पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	दिल्ली-01, जयपुर-01, पानीपत-01 अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	डाइंग/ब्लीचिंग/विलिशिंग/प्रिंटिंग/टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इत्यादि से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण/कारखाना और क्षेत्र में प्रशिक्षण देना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11816		
पद का नाम	:	फोटोग्राफर
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अनारक्षित
विभाग	:	हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फोटोग्राफी में 3 वर्षों का डिप्लोमा। 2. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/सांविधिक/स्वशासित संगठन अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में फोटोग्राफी की विभिन्न शाखाओं, कलर प्रोसेसिंग तथा फोटोग्राफी उपकरणों की मरम्मत का कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	दिल्ली-01 अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	फोटोग्राफी लेना, कपड़ा/नमूनों, कलर प्रोसेसिंग की फोटो संबंधी कार्य करना तथा फोटोग्राफी उपकरणों इत्यादि का अनुरक्षण।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर11916		
पद का नाम	:	सहायक (वास्तुकीय विभाग)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	18(अना.-09,अ.पि.व.-06,अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02)
विभाग	:	महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अ.जा. तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग, अ.पि.व. तथा अ.जा./अ.ज.जा. सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 35 वर्ष, 38 वर्ष व 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	दिल्ली, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	प्रारंभिक,कार्यविधि विस्तृत आरेख इत्यादि तैयार करना खाका नक्शा, आरेख प्रस्तुतीकरण तथा आरेख रिकार्ड इत्यादि का रखरखाव/कार्य स्थल के ऑकड़ों का प्रत्यक्ष सत्यापन और जाँच करना/अधिकारियों को स्थानीय निकाय तथा प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों से नक्शा अनुमोदन कराने में सहयोग प्रदान करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12016		
पद का नाम	:	क्षेत्र परिचर (फिल्ड अटेंडेंट)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अ.पि.व.
विभाग	:	भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
आयु	:	27 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्षों की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अ.पि.व. के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष तक होगी।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 1800/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास।
वांछनीय योग्यता	:	हिंदी पढ़ने और लिखने की योग्यता अथवा अनुभव अथवा कीटाणुओं को पिनिंग और सेटिंग करना अथवा क्षेत्र में कीटाणुओं को एकत्र एवं संरक्षित करने का ज्ञान अथवा चर्मपूरण तकनीक का ज्ञान अथवा किसी प्राणि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा संस्थान में चर्मपूरण का महत्वपूर्ण अनुभव।
प्रारंभिक तैनाती	:	देहरादून (उत्तरा खण्ड), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रयोगशाला, जलाशय, संग्रहालय तथा गैलरी के साथ-साथ नमूना तथा उपस्करों की साफ सफाई। 2. मत्स्य रख-रखाव तथा मत्स्य नमूनों का संग्रह और मत्स्य आहार की व्यवस्था 3. कीटाणाओं को पिन करना और सेट करना। 4. क्षेत्र में तथा सेक्शन में नमूनों का संरक्षण और अनुरक्षण। 5. खाल उतारना, संरक्षित करना तथा कंकाल तैयार करना। 6. चमड़े को पकाना तथा संरक्षित एवं मरम्मत करना। 7. चयन में कर्मचारियों का सहयोग करना। 8. आवश्यकता अनुसार क्षेत्र सर्वेक्षण दलों का सहयोग करना। 9. सौंपे गए अन्य कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12116		
पद का नाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक(सुक्ष्म-जैविकीय अनुसंधान)
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित,अननुसचिवीय गैर मंत्रालयीय
रिक्तियाँ	:	02 (अनारक्षित-01,अ.ज.जा.-01)
विभाग	:	राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला,लखनऊ, सांस्कृतिक मंत्रालय।
आयु	:	30 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी श्रेणी में प्राप्त छूट के अतिरिक्त उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
वेतनमान	:	पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री। 2. जीव विज्ञान और कीट नियंत्रण में प्राथमिकता सहित कीट विज्ञान में दो वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।
	:	अथवा
	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कवक विज्ञान में विशेषज्ञता सहित वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री। 2. कवक के संवर्धन,पहचान और अध्ययन में दो वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	फ्रेंच/जर्मन का ज्ञान।
प्रारंभिक तैनाती	:	लखनऊ(उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	1. सांस्कृतिक धरोहरों के मटेरियल का विश्लेषण करना। 2. सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के बारे में अनुसंधान करना। 3. तकनीकी आख्या और शोध पत्र तैयार करने के लिए संदर्भ जमा करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के अस्थि विकलांग श्रेणी के लिए उपयुक्त है। विकलांगता की उप श्रेणी ए.बा.-एक बॉह, ए.पै.-एक पैर के लिए।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12216	
पद का नाम	: पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियों	: 01-अनारक्षित
विभाग	: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण का कार्यालय, लखनऊ, सांस्कृतिक मंत्रालय
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200 /-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। 2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में उक्त कार्य का दो वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अप्लीकेशन में डिप्लोमा।
प्रारंभिक तैनाती	: लखनऊ, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: 1. किताबों एवं पत्र-पत्रिका की खरीद और प्राप्ति। 2. दस्तावेजों का वर्गीकरण और नामावली/सूचीकरण 3. पत्रिका का रखरखाव 4. दस्तावेजों को जारी करना व प्राप्त करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के अस्थि विकलांग श्रेणी के लिए उपयुक्त है। विकलांगता की उप श्रेणी ए.पै.-एक पैर के लिए।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12316	
पद का नाम	: वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक इंजीनियरी)
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	: 01-अनारक्षित
विभाग	: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कल्याणपुर, कानपुर
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री।
वांछनीय योग्यता	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	: कानपुर(उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: <ol style="list-style-type: none"> 1. पद के अनुसार विषयक मामलों में सौंपे गए कार्यों में ड्राफ्ट नोट तैयार करना, चीनी एवं संबद्ध उद्योगों के विभिन्न प्रकार के समस्याओं एवं प्रश्नों का समाधान करते हुए रिपोर्ट तैयार करना तथा उपर्युक्त मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना। 2. चीनी कारखानों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्तावों की जांच, तकनीकी बुलेटिन के लिए तकनीकी आंकड़ों की गणना एवं निष्पादन करने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना। 3. अधिकारियों के साथ विस्तार/परामर्श संबंधी दौरों पर जाना एवं उस दौरान जांच करने में मदद करना। 4. छात्रों को संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले संबंधी अध्यापन/प्रशिक्षण संबंधी कार्य में शामिल होना। 5. समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12416		
पद का नाम	:	मेडिकल कम्पाउंडर
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अनारक्षित
विभाग	:	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म कार्यालय,कृषि मंत्रालय, पशुपालन,डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, अन्देशनगर, लखीमपुर खेरी।
आयु	:	18 से 25 के बीच हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रु. 2400/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. मैट्रिक/हायर सकेण्डी अथवा समतुल्य परीक्षा 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान में कम्पाउंडर के रूप में प्रशिक्षण
वांछनीय योग्यता	:	किसी औषधि वितरण केन्द्र/अस्पताल में दो वर्षों का अनुभव।
प्रारंभिक तैनाती	:	सी.सी.बी.एफ. लखीमपुरखेरी (उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	फार्म कर्मचारी टी.एस.डबलू को प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करना, दवा स्टॉक रजिस्टर आदि का रख-रखाव करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12516	
पद का नाम	: वरिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड- II (कीटनाशक)
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	: 01-अनारक्षित (अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित)
विभाग	: कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले सिविल अनारक्षित वर्ग (अस्थि विकलांग-ए.बा.-एक बांह, ए.पै.-एक पैर) के कर्मचारियों की आयु सीमा 45 वर्ष तक होगी।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रुपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रु. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। 2. कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर पौधा संरक्षण कार्य में एक वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: शून्य
प्रारंभिक तैनाती	: नई दिल्ली अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: 1. कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा कीटनाशक नियम 1971 संबंधी मामले। 2. कीटनाशक का पंजीकरण। 3. पंजीकरण समिति के निर्णय के संबंध में अपील। 4. कीटनाशक अधिनियम तथा नियम एवं पंजीकरण समिति के निर्णय संबंधी न्यायालयी मामले। 5. कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मामले। 6. कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा कीटनाशक नियम 1971 में संशोधन और अन्य संबंधी कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद अस्थि विकलांगता की उप श्रेणी (ए.बा.-एक बांह, ए.पै.-एक पैर) के शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12616	
पद का नाम	: वरिष्ठ तकनीकी सहायक(शर्करा प्रौद्योगिकी)
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	: 02 (अ.ना.-01, अ.पि.व.-01)
विभाग	: राष्ट्रीय शर्करा संस्था, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कल्याणपुर, कानपुर
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले सिविल अनारक्षित वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 35 वर्ष एवं 38 वर्ष हो।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रुपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रु. 4200/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/ इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ (i).राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी में दी गई उप-सदस्यता अथवा (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था अथवा समकक्ष द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समतुल्य।
वांछनीय योग्यता	: 1. किसी चीनी कारखाने में उत्पादन रसायनज्ञ के रूप में व्यवहारिक अनुभव या किसी सरकारी संगठन की अनुसंधान संस्था में अनुसंधान/व्यवहारिक अनुभव। 2. अध्यापन का अनुभव।
प्रारंभिक तैनाती	: कानपुर (उत्तर प्रदेश),अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: पद के अनुसार आवश्यक ड्यूटी अध्यापन,शोध तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह/एक्सटेंशन विजिट के दौरान सहायक के रूप में कार्य करना।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12716		
पद का नाम	:	प्रयोगशाला परिचर
पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,अननुसचिवीय
रिक्तियाँ	:	01-अनारक्षित
विभाग	:	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय वाराणसी
आयु	:	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक।
वेतनमान	:	पी.बी.-1 रूपया 5200-20,200/- ग्रेड पे-रू. 1800/- (6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के साथ हायर सकेण्ड्री (10+2) पास। 2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त शोध संस्थान /स्वायतशासी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बहुराष्ट्रीय/प्रतिष्ठित गैरसरकारी बीज कम्पनी में प्रयोगशाला कार्य का एक वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	:	शून्य
प्रारंभिक तैनाती	:	वाराणसी (उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	:	प्रयोगशाला परिचर विभिन्न जाँच कार्य यथा भौतिक शुद्धता,नमी, अनुवांशिक शुद्धता आदि में सहयोग के साथ-साथ जाँच के लिए आवश्यक मेटेरियल की व्यवस्था और स्टॉक सोल्यूशन आदि तैयार करने तथा प्रयोगशाला के रखरखाव में सहयोग करेगा/करेगी। वह नमूनों की प्राप्ति का उचित रिकार्ड रखेगा तथा उन्हें संबंधित बीज विश्लेषक के पास विश्लेषण हेतु भेजेगा। वह बीजों की जाँच यथा भौतिक, अनुवांशिक शुद्धता, शुद्धता जाँच, बीज के स्वस्थता की जाँच, आदि का कार्य करेगा और केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला में रिकार्डों को उचित रखरखाव करेगा। साथ ही वह सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपे अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेगा।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	:	यह पद शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के अस्थि विकलांग श्रेणी के लिए उपयुक्त है। विकलांगता की उप श्रेणी ए.पै.-एक पैर, अ.दृ.-अल्प दृष्टि और श्र.वि.-श्रवण विकलांग के लिए।

पदों की श्रेणी संख्या-सीआर12816	
पद का नाम	: वरिष्ठ तकनीकी सहायक
पदों का वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय गैर तकनीकी
रिक्तियाँ	: 01-अनारक्षित
विभाग	: गेहूँ विकास निदेशालय, गाजियाबाद, कृषि मंत्रालय
आयु	: 30 वर्ष से अधिक न हो। केन्द्रीय सरकार में 3 वर्ष की नियमित व लगातार सेवा करने वाले अनारक्षित वर्ग के सिविल कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक।
वेतनमान	: पी.बी.-2 रूपया 9300-34,800/- ग्रेड पे-रू. 4200/-(6 th CPC)
आवश्यक योग्यता	: <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से सांख्यिकी, गणित अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान अथावा सामाजिक कार्य में स्नातक डिग्री। 2. हिंदी का ज्ञान। 3. परिवार कल्याण से संबंधित आंकड़ों, सामाजिक सर्वेक्षण को एकत्र करना तथा संकलन एवं क्षेत्र कार्य के सामाजिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन का तीन वर्षों का अनुभव।
वांछनीय योग्यता	: शून्य
प्रारंभिक तैनाती	: गाजियाबाद, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।
कार्य अपेक्षाएं	: संबंधित फसल के लिए अपेक्षित रिकार्ड/फाइल और डाटा तैयार करने के लिए संबंधित फसल, बीज के किस्मवार, राज्यवार आँकड़ों को एकत्र करना एवं विश्लेषण करना और सभी तकनीकी मामलों में जब जैसी आवश्यकता होगी निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग करने के लिए दौरे पर जाना/साथ ही निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश	: यह पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

टिप्पणी-I : इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-II : वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

5. **प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :**

क.च.आ.: कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो. :अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि: : दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै.: एक पैर प्रभावित, दो.पै.: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलयन कर्मचारी ल.न. : लागू नहीं, अ.से.उ: अन्य सेवारत उम्मीदवार ।

6. **राष्ट्रीयता/नागरिकता:**

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि ऊपरीक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा ।

7. **परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका ।**

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा । भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा । आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए ।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है ।

8. **ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :**

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा ।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें। किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, केवल अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा सभी पिछले/पूर्व आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध- I(क) में दी गई है।

v) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुँच जाए।

क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र)

कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र)

21-23 लाउदर रोड, जार्ज टाउन

इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश)

vi) ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

vii) महत्वपूर्ण : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि 02.10.2016 (5.00 बजे अपराह्न) है। ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 02.10.2016 (5.00 बजे अपराह्न) है।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

(i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है।

(ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन अर्थात् 02.10.2016 के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि होगी।

- (iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।
- (iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों (संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vi) अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में अपेक्षित प्रवीणता के संबंध में अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।

टिप्पणी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :
आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

(क) आयु का प्रमाण

(क) आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में छूट:

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं।

'श्रेणी कोड', 'श्रेणी' तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में यथा-उल्लिखित 'ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट' नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड : कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि.(अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि.(अजा)	15 वर्ष
07	शा.दि.(अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
समूह 'ख' पदों के लिए		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए		
20	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (सामान्य/अनारक्षित)।	05 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)।	08 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा)।	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजजा)।	10 वर्ष

समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए		
24	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित)	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा)	40 वर्ष की आयु तक
27	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजजा)	40 वर्ष की आयु तक
28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	5वर्ष
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	समय समय पर जारी भारत सरकार के आदेशानुसार ।

टिप्पणी : आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, वें आयु में छूट के हकदार नहीं है।

12. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए

- i. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी उप जातियां/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए

- i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।।) सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा प्रारूप [इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।।(क)] के अनुसार एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समुदाय विभिन्न राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं।
- ii. इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा।

तथापि अभ्यर्थियों के लाभ के लिए, आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि अथवा उससे पूर्व जारी किए गए अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्रों को भी स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके अपिब प्रमाणपत्र परीक्षा की तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जारी न किए गए हो।

अन्यथा, उनके अन्य पिछड़े वर्ग प्रस्थिति के साथ-साथ आयु में छूट और आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदनों पर सामान्य श्रेणी(अना) के अधीन विचार किया जाएगा।

ग. **शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए :** क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

- i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।
- ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/(प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. **शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश।**

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समुतल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे। दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट ला सकते हैं। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) **अतिरिक्त समय का प्रावधान :** दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

ड. **भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।**

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूर्व, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-8 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

(iii) सेवा लिपिक, जो अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में है, वे शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र नहीं हैं।

(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

(ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है तथा साथ ही वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, निरपवाद रूप से संलग्न

करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

13. दस्तावेजों का सत्यापन

- क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तियों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है।
- ख. वे ओ.एम.आर./कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/दस्तावेज/अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

14. आवेदन-पत्र को निरस्त/रः करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/रः की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,
- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रोषण न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बाद होने की तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,
- ix. विषय तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- x. संगत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. अन्य कोई भी अनियमितता के कारण

xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

टिप्पणी : I अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य संसूचना यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से, आपराधिक प्रक्रियाओं के शुरू होने के बिना, वंचित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : II अभ्यर्थियों को अपने वाल पैन/एचबी पेंसिल, रबर साथ लाने होंगे। अभ्यर्थियों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जैसे पुस्तके, नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजेट आदि के अलावा किसी भी वस्तु को परीक्षा हाल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

- क.** सरकार द्वारा जूनियर स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है। तदनुसार, चयन पदों की भर्ती ओएमआर/कंप्यूटरीकृत आधारित वस्तुनिष्ठ बहुल विकल्प परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
- ख.** आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सूची-बद्ध चयननित जाएगा। अभ्यर्थियों को 1:25 के अनुपात में चयनित किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्धता के आधार पर, 25 अभ्यर्थी होंगे। पांच के गुणकों में, प्राप्त अंकों के प्रतिशत के उपयुक्त निर्धारित प्रतिशत का प्रयोग करने से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है।
- ग.** ओएमआर/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची बद्ध चयन करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा। आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुएशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा।
- घ.** जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए मानदंड का अनुकरण करेगा। अन्य सभी मामलों में आयोग(X)9.5 से गुणा करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा।
- ङ.** आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध चयनित करने के लिए अपनाया गया मानदंड होगा। इस प्रकार के सूचीबद्ध चयन के मानदंड के विरुद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- च.** अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता की ऐसी निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

16. परीक्षा की प्रणाली

(क) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता मैट्रिकलूशन है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 150 प्रश्न होंगे जिसके निम्नलिखित चार घटक होंगे:-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	25 प्रश्न
संख्यात्मक अभिरूचि	:	25 प्रश्न
सामान्य अंग्रेजी	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ख) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता उच्चतर माध्यमिक है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नानुसार हैं:-

सामान्य बुद्धिमत्ता	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न

(ग) ऐसे पद जिसमें अनिवार्य योग्यता किसी भी विषय में स्नातक तथा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री (किसी भी विषय में विशेषज्ञता) है, उस परीक्षा में प्रत्येक एक अंक वाले 200 प्रश्न होंगे जो निम्नलिखित विषयानुसार होंगे।:-

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	:	50 प्रश्न
सामान्य जानकारी	:	50 प्रश्न
परिमाणात्मक अभिरूचि	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी परिज्ञान	:	50 प्रश्न

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक होंगे।

(घ) जहाँ अनिवार्य योग्यता में कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि विहित हैं, वहाँ ये आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होगी।

(ङ) अंतिम योग्यता सूची ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(च) बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

जहाँ दो अथवा अधिक अभ्यर्थी ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगा:

- जन्म तिथि को देखकर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: चयन पदों के लिए ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा चयनित शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपूर्.सै./ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित/ओएमआर आधारित बहुविकल्प ओ एम आर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
 - ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहाँ भी लागू हो आयोग ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग ने ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
 - iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई है तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा. अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।
 - iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
 - v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग जन) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
 - vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
 - vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।
17. नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे। जो अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

18. **जिस व्यक्ति ने:**

- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. **अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य**

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

20. **दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :**

- (i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :
- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहे इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो।
- (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है।
- (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।

- (X) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
- (Xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

21. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रः कर दी जाएगी।

22. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ_ कर्मचारी चयन आयोग,मध्य क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं अर्थात इलाहाबाद का न्यायालय/न्यायाधिकरण ।

परिशिष्ट- I

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी	
1.	परिशिष्ट-I(क)	आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश		
2.	परिशिष्ट-I।	अ.जा/अ.ज.जा.	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी:	तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	परिशिष्ट-III	अपिव	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त /प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए ।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी:	आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के अपिव दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह समझने के लिए भी कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है ।
4.	परिशिष्ट-III (ए)		स्वयं आवेदक	
5.	परिशिष्ट-IV	साजीसीई	कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान	
6.	परिशिष्ट- IV (ए)	ईए/सीजीसीई	स्वयं आवेदक	
7.	परिशिष्ट-V	भूपूसै	कमान अफसर	
8.	परिशिष्ट-V (ए)		स्वयं आवेदक	
9.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	दिव्यांग व्यक्ति	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षित
		फार्म-III		
		फार्म-IV		

आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर पूरे वर्ष उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म/आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> के पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
4. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना चाहिए।
5. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।
8. यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
9. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ऑपलोड करने होंगे।
10. फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई का तथा 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
11. हस्ताक्षर जेपीजे फॉर्मेट में ऑपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 40 पिक्सल चौड़ाई का तथा 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
12. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
13. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
14. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में ऑगईन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।

15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
16. ऑनलाइन आवेदन (डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 03.09.2016 से 02.10.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह 02.10.2016 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक 02.10.2016 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 02.10.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
17. आवेदन भाग में भुगतान का ब्यौरा भरना भी अपेक्षित है।
18. भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन भाग के पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन निकाले गए चालान का प्रिंट लेना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के देय शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रणाली में अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड सहित लॉगईन करें तथा निर्धारित तिथि और समय के भीतर विवरण जमा करें।
19. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
20. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

.....
 पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*
 जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
 क्षेत्र*.....के.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो
 निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त
 है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,
 1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,
 1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र
 आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....के माता/पिता
श्री/श्रीमती.....निवासी
ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य
/संघ राज्य क्षेत्र*.....को जारी किए गए
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ...
.....जाति/जनजाति से संबंधित है
जो.....दिनांक.....द्वारा
जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....
सहित)

(कार्यालय की मुहर

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री ग्राम

जिला/संभाग राज्य
..... समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या..... के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु..... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

कार्यालय का मुहर: जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें जहां भी उम्मीदवार की जाति अपिब उल्लिखित है, वहाँ भारत सरकार के संकल्प संख्या का विवरण देना होगा।

** - * समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी I(क):- यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

(ख): जाति प्रमाणपत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सहायक आयुक्त/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।(प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

आयु में छुट, आरक्षण आदि के लिए अपिब उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले घोषणा

(कृपया सूचना के अनुच्छेद-9 (ख) को देखें)

मैं-----श्री-----के-----पुत्र/पुत्री

-----ग्राम/नगर/शहर-----जिला-----राज्य----- का निवासी एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं-----समुदाय से संबंधित हूँ जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-----दिनांक----- के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के सोःश्य से पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता है। ये भी घोषित किया जाता है कि मैं ऊपरीक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-2016 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

*(अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(ड.) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक---
----- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम एवं पदनाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -9(च) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ:

नियुक्ति की तिथि : _____

वर्तमान पद तथा वेतनमान : _____

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित कर्मचारी का नाम व पता : _____

स्थान तथा दिनांक:

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(संगठन के पत्र शीर्ष पर)
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 9 (घ) को देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....
.....(दिनांक).....को सशस्त्र
सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि__
- ख) कार्यमुक्त की तिथि _____
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि__
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर _____
- ड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई__

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधापन के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसंख्या.....
दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म
तिथि -----आयु..... (दि./म./व.) -----पुरुष/महिला-----
की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में
.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों में.....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----आयु.....
(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है। निःशक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा।

तारीख

माह

वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर